

वदियुत क्षेत्र में सुधार

यह एडिटरियल दिनांक 19/06/2021 को 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित लेख "Band-aid for power" पर आधारित है। इसमें भारत में वदियुत क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

पछिले साल कोविड -19 महामारी के दौरान भारत सरकार ने [आत्मनिर्भर भारत योजना](#) के तहत बजिली क्षेत्र के लिये एक राहत पैकेज की घोषणा की थी। इस राहत पैकेज की घोषणा, डिसिऑम की अक्षमता के कारण बजिली क्षेत्र से जुड़ी पूरी श्रृंखला पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिये, की गई थी।

- यह पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने डिसिऑम की सहायता करने और बजिली के वतिरण से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिये कदम बढ़ाया है (इससे पूर्व में [UDAY/उदय योजना](#))। हालाँकि बार-बार हस्तक्षेप के बाद भी अंतमि परिणाम यह है कि डिसिऑम वतिर की कमी से जुझ रही है और पुनः राहत पैकेज की जरूरत है।
- इससे बजिली क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख संरचनात्मक समस्याएँ उजागर होती हैं, भारत में एक स्थायी बजिली क्षेत्र के लिये जनिका समाधान कथिया जाना चाहिये।

वदियुत क्षेत्र से संबद्ध चुनौतियाँ

- **AT&C से होने वाली हानि:** सकल तकनीकी और वाणज्यिक (Aggregate technical and commercial-AT&C) हानियाँ खराब या अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे से या बजिली की चोरी या बलियों के भुगतान नहीं होने के कारण होती हैं। [उदय योजना \(UDAY\)](#) के तहत वर्ष 2019 तक इन नुकसानों को कम कर 15 प्रतिशत तक लाने की परकिल्पना की थी। हालाँकि उदय डैशबोर्ड के आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में अखलि भारतीय स्तर पर AT&C से नुकसान 21.7 प्रतिशत है।
- **लागत-राजस्व अंतर:** डिसिऑम की लागत (आपूर्ति की औसत लागत) और राजस्व (प्राप्त औसत राजस्व) के मध्य अंतर अभी भी अधिक है। यह बजिली दरों में नियमति संशोधन के अभाव के कारण है।
- **सार्वभौमिक वदियुतीकरण का प्रभाव:** वडिंबना यह है कि सार्वभौमिक वदियुतीकरण सुनिश्चित करने के लिये सरकार के दवाब ने अक्षमता को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। वदियुतीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिये जैसे-जैसे घरेलू कनेक्शन बढ़ाए जाते हैं, लागत संरचनाओं में बदलाव होता है, और वतिरण नेटवर्क (ट्रान्सफॉर्मर, तार, आदी) को बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ ही घाटा बढ़ना तय है।
- **महामारी का आर्थिक नतीजा:** महामारी के कारण औद्योगिक और वाणज्यिक उपयोगकर्त्ताओं की मांग में गिरावट के साथ (जसिका उपयोग अन्य उपभोक्ताओं को क्रॉस-सब्सिडी के लिये कथिया जाता है) राजस्व में गिरावट आई है, जसिसे डिसिऑम का वतितीय तनाव बढ़ गया है।
- **नविश में गिरावट:** डिसिऑम की खराब वतितीय स्थिति के कारण, बजिली क्षेत्र (वशिषकर नजि क्षेत्र द्वारा) में नए नविश कम हो रहे हैं।
- **ऊर्जा का प्रधान स्रोत जीवाश्म ईंधन:** देश के उत्पादन का 80% हसिसा कोयला, प्राकृतिक गैस और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन पर आधारित तापीय बजिली है। इसके अलावा, भारत में अधिकांश संयंत्र (Plant) पुराने और अक्षम हैं।

सौभाग्य योजना:

- सौभाग्य योजना का शुभारंभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू वदियुतीकरण सुनिश्चित करने के लिये कथिया गया था।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को दिया गया, जबकि राज्यों ने अपने कोष से 10% धन खर्च कथिया और शेष 30% राशि बैंकों ने बतौर ऋण के रूप में प्रदान की।
- वशिष राज्यों के लिये केंद्र सरकार द्वारा योजना का 85% अनुदान दिया गया, जबकि राज्यों को अपने पास से केवल 5% धन ही लगाना था और शेष 10% राशि बैंकों ने बतौर ऋण के रूप में प्रदान की।
- ऐसे सभी चार करोड़ नरिधन परिवारों को बजिली कनेक्शन प्रदान कथिया गया जसिके पास उस वक्त कनेक्शन नहीं था।
- इस योजना का लाभ गाँव के साथ-साथ शहर के लोगों को भी प्रदान कथिया गया।
- केंद्र सरकार द्वारा बैटरी सहित 200 से 300 वाट क्षमता का सोलर पावर पैक दिया गया, जसिमें हर घर के लिये 5 LED बल्ब, एक पंखा भी शामिल था।

- बजिली के इन उपकरणों की देख-रेख 5 सालों तक सरकार अपने खर्च पर करेगी।
- बजिली कनेक्शन के लिये 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना गया था। जो लोग इस जनगणना में शामिल नहीं थे, उन्हें 500 रुपए में कनेक्शन दिया गया और इसे 10 कशितों में वसूला जाएगा।
- सभी घरों को बजिली पहुँचाने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया गया था।

आगे की राह

- **सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना:** उच्च औद्योगिक/वाणजियिक टैरिफ और क्रॉस-सब्सिडी के कार्यान्वयन ने औद्योगिक और वाणजियिक क्षेत्रों की प्रतस्पर्द्धा की क्षमता को प्रभावित किया है। इस प्रकार क्रॉस-सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने एवं इसके प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- **AT&C से होने वाली हानि को कवर करना:** बजिली की मांग के प्रबंधन के लिये, कृषि को आपूर्ति की जाने वाली बजिली की 100% मीटरिंग-नेट मीटरिंग, स्मार्ट मीटर एवं मीटरिंग शुरू करना आवश्यक है। प्रशुल्क संरचना में नष्पादन आधारित प्रोत्साहनों (Performance Based Incentives) को शामिल करने की भी आवश्यकता है।
- **हरति ग्रिड: कृषि योजना** कृषि में बजिली सब्सिडी मॉडल के लिये एक उपयुक्त विकल्प प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य कृषि के लिये सौर पंपों के उपयोग को बढ़ावा देना और यह प्रावधान करता है कि स्थानीय डिसिकॉम को किसान से अधिशेष बजिली खरीदनी चाहिये।
- **सीमा पार व्यापार:** सरकार को मौजूदा/आगामी पीढ़ी की परसिंपत्तियों का उपयोग करने के लिये सीमा पार बजिली व्यापार को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की जरूरत है। **सारक वदियुत ग्रिड** सही दिशा में एक कदम है।

नष्िकर्ष

डिसिकॉम की अक्षमता से नपिटने के लिये **राष्ट्रीय बजिली वितरण कंपनी** की अवधारणा को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालाँकि प्रणालीगत एवं आधारभूत ढाँचे की चुनौतियों को संबोधित किये बिना, डिसिकॉम की वित्तीय और परचालन स्थिति में एक स्थायी बदलाव मुश्किल है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में वदियुत क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों के बारे में चर्चा कीजिये।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/power-sector-reforms>

